



संख्या : — /जी०एस०(शिक्षा) /A11-172 /2021

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून : दिनांक 30 सितम्बर, 2022


महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या: 5226/Aff/2020-21 दिनांक 04-02-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कुलसचिव द्वारा रूड़की महाविद्यालय, रूड़की, हरिद्वार को बी०एससी० (पी०सी०एम० व जेड०बी०सी०) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019-20 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2019-20 की नवीन अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33 (1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01.	रूड़की महाविद्यालय, रूड़की, हरिद्वार	बी०एससी० (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित) बी०एससी० (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान)	60 सीट प्रति विषय 60 सीट प्रति विषय	2019-20

- 1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह की अवधि में उपलब्ध करायें।
- 2- विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- 3- महाविद्यालय में पुस्तकालय/पुस्तकें मानकानुसार पूर्ण कराने के साथ-साथ प्राभूति राशि के रूप में बंधक F.D.R का नवीनीकरण कराते हुए तत्सम्बन्धी अभिलेख इस सचिवालय को उपलब्ध कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- 4- यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

 कृपया :-

5-अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2473 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/ A11-172/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, रूड़की महाविद्यालय, रूड़की, ग्राम लाठरदेवा शेख, मंगलौर इकबालपुर रोड, रूड़की, हरिद्वार।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(स्वाति एस० मदीरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

क्र.सं.	नाम	पद	संस्था
1	डा० रंजीत कुमार सिन्हा	कुलाधिपति	रूड़की महाविद्यालय
2	स्वाति एस० मदीरिया	अपर सचिव	रूड़की महाविद्यालय
3	सचिव	उच्च शिक्षा विभाग	उत्तराखण्ड शासन
4	निदेशक	उच्च शिक्षा	हल्द्वानी
5	प्राचार्य	रूड़की महाविद्यालय	रूड़की
6	कम्प्यूटर प्रकोष्ठ	गार्ड फाइल	रूड़की महाविद्यालय